न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 70/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रोशन पिता लोभा लोहार निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. रतन पिता बालुराम लोहार
2. मु0 प्रेमी पुत्री बालुराम लोहार
3. मु0 अणछी पुत्री बालुराम लोहार
4. किशना पिता हुक्मा गाडरी
5. लालु पिता हुक्मा गाडरी
6. गोकल पिता कनीराम गाडरी
7. मु0 सोहनी पुत्री कनीराम गाडरी
8. मु0 नानीबाई बेवा कनीराम गाडरी
9. मु0 गीतादेवी पत्नि रामपाल शर्मा (दाधीच)
10. मु0 कंचनदेवी पत्नि शंकरलाल शर्मा (दाधीच)

सर्व निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः– 31/07/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1204 रकबा 0.14 हे0 1206 रकबा 0.14 हे0 1205 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.48 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 325 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 तथा 9, 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीसंख्या 4 व 8 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र से नाम डिलिट किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं

क्रमशः....02

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 70/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1204 रकबा 0.14 हे0 1206 रकबा 0.14 हे0 1205 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.48 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)